रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939
No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून , 2017

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 41) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(i) सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

"**सारणी 2**

(यदि कोर समूह में तैनात है तो विशेष भत्ता और अतिरिक्त नियत भत्ता नीचे सारणी के अनुसार संदेय होगा)

क्र. सं.	उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों की सं.	विशेष भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह के लिए अतिरिक्त नियत भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		
		केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह में पदाधिकारियों के लिए	क्षेत्रीय कार्यालय कोर समूह में पदाधिकारियों के लिए	केन्द्रीय कार्यालय में बीमांकिक विभाग के प्रधान के लिए	पदाभिहीत बीमांकिक के रूप में नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के लिए	प्रभाग या प्रबंधक और उससे ऊपर के काडर में पदाधिकारियों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छह प्रश्न पत्र	6000	3200	600	-	300
2.	सात प्रश्न पत्र	7500	4000	750	-	375
3.	आठ प्रश्न पत्र	13500	7200	1350	-	675
4.	नौ प्रश्न पत्र	15000	8000	1500	-	750
5.	दस प्रश्न पत्र	18000	9600	1800	-	900
6.	ग्यारह प्रश्न पत्र	22500	12000	2250	-	1125
7.	बारह प्रश्न पत्र	27000	14400	2700	-	1350
8.	तेरह प्रश्न पत्र	31500	16800	3150	-	1575
9.	चौदह प्रश्न पत्र	37500	20000	3750	-	1875
10.	पंद्रह प्रश्न पत्र	45000	24000	4500	-	2250
11.	फेलो	75000	24000	7500	50000	3750

स्पष्टीकरण,-

(i) **"**पदाभिहीत बीमाकंक**"** से निगम का ऐसा पूर्णकालिक अधिकारी अभिप्रेत है जो भारतीय बीमांकिक संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ ऐक्चुयरीज, लंदन का फेलो सदस्य है और जो अध्यक्ष द्वारा या पदाभिहीत बीमाकंकों के चयन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

(ii) पदाभिहीत बीमाकंकों के तीन पद अर्थात् उत्पाद बीमांकक मूल्यांकन बीमांकक और पेंशन बीमांकक होंगे।

(iii) कोई कर्मचारी सारणी 2 के स्तम्भ (5) या स्तम्भ (6) या स्तम्भ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट एक अतिरिक्त नियत भत्ते, जो भी अधिक हो, के लिए ही हकदार होगा।**"**।

3. उक्त नियम के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्**:-**

"(2) नियम 2 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता और अतिरिक्त नियत भत्ता तथा नियम 4 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियत भत्ता किसी प्रयोजन के लिए कर्मचारी के मूल वेतन, जिसमें महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता, भविष्य निधि, उपदान या छुट्टी का नकद भुगतान भी है, में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**"**।

[फा. सं. एस-11012/09/2007-बीमा.I**]**

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र**,** असाधारण में सा.का.नि. 55(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 564(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 753(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2009 और सा.का.नि. 334(अ), तारीख 12 मई, 2014 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2017

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

   (i) for Table 2, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE-2

(If posted in the Core-Group, the Special Allowance and Additional Fixed Allowance, shall be payable as per table below)

Sl. No.	Number of Papers Passed	Special Allowance (Rate per month in Rs.)		Additional Fixed Allowance for Central Office Core Group (Rate per month in Rs.)		
		For officials in Central Office Core Group	For officials in Zonal Office Core Group	For Head of the Actuarial Department in Central Office	For officials nominated as Designated Actuary	For officials in the cadre of Divisional Manager and above
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Six papers	6000	3200	600	-	300
2.	Seven papers	7500	4000	750	-	375
3.	Eight papers	13500	7200	1350	-	675
4.	Nine papers	15000	8000	1500	-	750
5.	Ten papers	18000	9600	1800	-	900
6.	Eleven papers	22500	12000	2250	-	1125
7.	Twelve papers	27000	14400	2700	-	1350
8.	Thirteen papers	31500	16800	3150	-	1575
9.	Fourteen papers	37500	20000	3750	-	1875
10.	Fifteen papers	45000	24000	4500	-	2250
11.	Fellow	75000	24000	7500	50000	3750

Explanation,—

(i) "Designated Actuary" means**,** a full time officer of the Corporation, who is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India or Institute of Actuaries, London and who is nominated as a Designated Actuary by the Chairman or an officer or committee authorized by the Chairman for selection of the Designated Actuaries.

(ii) There shall be three posts of Designated Actuaries namely, the Product Actuary, Valuation Actuary and Pension Actuary.

(iii) An employee shall be entitled only for one Additional Fixed Allowance specified under column (5) or (6) or (7) of Table 2, whichever is higher.".

3. In rule 4 of the said rules, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(2) The Special Allowance and the Additional Fixed Allowance referred to in rule 2 and the Fixed Allowance referred to in sub-rule (1) of rule (4), shall not be included in the basic pay of the employee for any purpose including dearness allowance house rent allowance, provident fund, gratuity or encashment of leave.".

[F. No. S-11012/09/2007-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 55(E), dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended *vide* G.S.R. 564(E) dated the 5th September, 2005; G.S.R..753(E), dated the 15th October, 2009 and G.S.R. 334(E), dated the 12th May, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.06.10 10:31:05 +05'30'